9

ग़रीबी और उसे दूर करने की योजनाएं

दक्षिण राजस्थान के डुंगरपुर ज़िले का एक गांव है तम्बूलिया। इस गांव मे लगभग 300 परिवार है, जिनमे से अधिकांश परिवार भीलो और हरिजनो के है। वे अपने एक या दो एकड़ के छोटे-छोटे सूखे खेतो पर स्वयं खेती करते है। इन परिवारो के कुछ सदस्य मजदूरी की तलाश मे गुजरात चले जाते है।

कई परिवारो के घरो पर दो-तीन दिन तक खाना नही पक पाता है। जिन के घर दिन मे एक बार भी भोजन बन जाता है, वे अपने आप को भाग्यशाली समझते है। बच्चे जंगली आम की गुठली चूसकर या जंगली फल खाकर भूख प्यास बुझाने की कोशिश करते है। पिछले दो तीन महीनो की भुखमरी ने इन्हे बहुत ही कमज़ोर कर दिया है - कमज़ोरी के कारण कुछ बुज़ुर्गो की मृत्यु हो गई।

1986 के मई माह की बात है। तम्बूलिया के पास कटरपारा गांव की एक दर्दनाक घटना मे एक विधवा और उसके दो बच्चे कुछ ही दिनो पहले भूख से मर गए थे। उन्होने अपने रिश्तेदारो के यहां भोजन तलाशने की कोशिश की थी पर कुछ नही मिल पाया था।

सुशीला बड़ीहा (उड़ीसा) के एक गांव मे रहती है। इस इलाके मे सूखी खेती होती है और यहां एक ही फसल हो पाती है। सुशीला के परिवार के पास कोई ज़मीन नही है। वे दोनो पति-पत्नी मज़दूरी कर के ही किसी प्रकार गुज़ारा करते थे। 1977 मे उसके पति का देहांत हो गया। अब उसकी हालत और बुरी हो गई है।

वह कहती है, "मेरे पति का पेट दस साल से खराब था। पर मुझे लगता है कि वे अंत मे भूख से ही मरे। मेरी बेटी भूख के मारे बेहोश हो जाती है। दो-तीन दिनो से न मैने चूल्हा जलाया न ही कुछ खाया। हमारे पास न गाय है, न बकरी है, न ज़मीन।

जहां भी काम मिल जाए मै कर लेती हूं। पर काम ही कहां मिलता है? कभी-कभी सरकारी गेहूं मिल जाता है तो कुछ काम चल जाता है।"

तुम्हारे आसपास ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति कौन है - उनका गुज़ारा कैसे हो पाता है चर्चा करो।

करोड़ो खेतीहर मज़दूर और छोटे किसानो की इतनी बुरी हालत है कि अक्सर वे उधारी के चंगुल मे फंस जाते है। उधारी मे फंसे कई ऐसे लोग बन्धुआ मज़दूर बन जाते है। बहुत से ऐसे मज़दूर और किसान काम की तलाश मे गांव छोड़कर शहरो मे चले जाते है। शहरो मे भी उन्हे अच्छी ज़िंदगी नसीब नही होती।

झुग्गी, झोपड़ी-बस्ती, फुटपाथ पर रह रहे इन करोड़ो लोगो को रोज़ काम नही मिलता। कभी हम्माली, तो कभी घर बनाने का काम। बस्ती मे न साफ़ पानी न ठीक से रहने की जगह। फिर जिन ठेकेदारो के ज़रिए उन्हे काम मिलता है वे भी उनको बुरे हालातो मे रखते है।

एक उदाहरण : तमिलनाडु के मदुरई, सेलम, तिरुची, चैंगलपट आदि ज़िलो के गावो से आए 84 आदमी, 59 औरते, 109 बच्चे भोपाल के पास रायसेन की गिट्टी खदानो मे बंधुआ मज़दूर थे। उन्हे इन गिट्टी खदानो मे काम करने के लिए उनके गांवो से 60 रुपए प्रति दिन और 2,000 रुपए नगद के आश्वासन पर लाया गया था। पर यहां आने पर उन्हे केवल 100 या 120 रुपए महीना दिया गया, वह भी टूटे चावल और सीढ़े आटे के रूप मे।

यदि वे ठेकेदार के चंगुल से निकलने की कोशिश करते या आवाज़ उठाते तो उन्हे बुरी तरह पीटा जाता और गरम लोहे से दागा जाता। कुछ मज़दूर किसी तरह भाग निकले और तमिलनाडु मे उन्होने अपने साथियो की दशा के बारे मे कई शिकायते की। बड़ी मुश्किल से इन्हे छुटकारा मिल पाया।

तमिलनाडु से लोग रायसेन क्यों आए? रायसेन मे उनके जीवन के बारे में दो वाक्य लिखो।

तुम कहोगे, ये तो कुछ ही इने-गिने परिवार होगे जिनके हालात इतने बुरे है। ये बहुत पहले की बात होगी कि लोग भूखे मरते थे। अब तो देश ने इतनी तरक्की कर ली है - अब इतनी ग़रीबी कहां? आजकल ऐसी ग़रीबी है भी तो हमारे प्रांत मे नही। सूखे इलाको मे ही ऐसी होगी।

ये बहुत पुरानी नही, छः-आठ साल पहले की ही बाते है। और न ही ये केवल कुछ प्रांतो की बाते है। आज भी लाखो, करोड़ो लोग ऐसे ही हालातो मे जी रहे है। केवल सूखे क्षेत्रो मे नही, सिंचित खेती वाले इलाको और शहरो मे भी लाखो लोगो की ऐसी ही हालत है।

ग़रीब कौन?

एक साधारण व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए रोज़ के भोजन की ज़रूरते इस प्रकार है -

अनाज	लगभग 500 ग्राम
दाल	लगभग 50 ग्राम
सब्ज़ी	लगभग 200 ग्राम
दूध	लगभग 150-200 ग्राम
तेल/घी	30-50 ग्राम
शक्कर/गुड़	20-35 ग्राम

यदि इन सभी चीज़ो को खरीदा जाए तो मोटे हिसाब से एक व्यक्ति के एक महीने का खर्चा लगभग 150 रु. और 200 रु. के बीच पड़ता है (1984-85 की कीमतो पर)। यदि एक परिवार मे 5 सदस्य माने जाएं तो एक परिवार के एक महीने का खर्चा लगभग 750-1000 रु. होगा - यानी एक परिवार के साल भर का खर्चा लगभग 9000 रु. से 12,000 रु. पड़ेगा। सरकार ने 1985 मे हिसाब लगाकर यह तय किया कि जिन परिवारो की आमदनी साल मे 6,400 रु. से कम है, वही परिवार ग़रीब है। सरकारी हिसाब से 1985 मे 100 मे से लगभग 40 लोग ऐसे थे जिन के पास भरपेट खाने को नही था।

सरकार ने ग़रीबी दूर करने के लिए क्या किया

करोड़ो लोग इतने ज़्यादा ग़रीब है तो क्या सरकार ने ग़रीबी दूर करने के लिए कुछ नही किया? ग़रीबो की सहायता के लिए कुछ नही कर रही है? आओ देखें, स्वतंत्रता के बाद ग़रीबी दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए? ये प्रयास कितने सफल रहे?

भूमि सीमा कानून और भूमि वितरण

भूमिहीनो को भूमि बांटने की मांग को देखते हुए सरकार ने सीलिंग कानून बनाया और भूमिहीनो को ज़मीन बांटने का तय किया। सीलिंग कानून मे नियम बना कि किसी भी व्यक्ति के पास एक निश्चित सीमा से अधिक ज़मीन नही रहेगी। अलग-अलग प्रांतो मे अलग-अलग सीमा रखी गई। किसी प्रांत मे 30 एकड़ थी तो कही 60 एकड़। सूखी और सिंचित ज़मीन की भी भूमि सीमा अलग थी। सीलिंग मे मिली ज़मीन सरकार भूमिहीनो को बांटेगी। सीलिंग कानून से बड़े किसान खुश नही थे और उन्होने इससे बचने के तरीके निकाल लिए और सीलिंग से अपनी बहुत सी ज़मीन बचा ली।

इस तरह सरकार बांटने के लिए बहुत कम ज़मीन ज़मींदारों व बड़े किसानों से ले पाई। पर जितनी ज़मीन सरकार के पास थी और जितनी सरकार को मिली, उस मे से भी बहुत कम ज़मीन भूमिहीनो को बांटी गई। उदाहरण के लिए पंजाब मे वितरण के लिए 4 लाख एकड़ ज़मीन उपलब्ध थी पर भूमिहीनो को केवल एक लाख एकड़ बांटी गई।

जहां अच्छी ज़मीन हरिजन, आदिवासी व भूमिहीन मज़दूरो को बांटी भी गई, वहां ज़मीदारो और बड़े किसानो ने उसका कड़ा विरोध किया और कुछ जगहो पर लठ्ठ और बंदूको के ज़ोर पर हरिजनो को ज़मीन लेने से रोका। ऐसी घटनाओ के कुछ उदाहरण हैं-

कुछ साल पहले बिहार सरकार ने बण्टा रामपुर गांव के कुछ बड़े किसानो को पूरा मुआवज़ा देकर, उन से लगभग साढ़े तीन एकड़ ज़मीन ली और कुछ हरिजनो को खेती करने के लिए बांट दी। तब से वे बड़े किसान इन हरिजनो को तरह-तरह से परेशान कर रहे थे। पर जब हरिजनो ने ज़मीन नही छोड़ी तो 1981 मे बड़े किसानो ने 122 हरिजनो की झोपड़ियां जला डाली।

1970 मे दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के पास खन्जावाला गांव मे 120 हरिजनो को पांच साल के लिए एक-एक एकड़ ज़मीन दी थी। बड़े किसानो ने कोर्ट मे इसके खिलाफ अर्ज़ी डाली। कोर्ट ने हरिजनो को दिया गया ज़मीन का पट्टा 5 और सालो के लिए बढ़ा दिया। बड़े किसानो ने इन हरिजनो को इतना डराया धमकाया और पीटा कि कई हरिजन डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए।

ज़मीन का वितरण आज भी बहुत असमान है। किसान 12 % भूमिहीन है। किसानो मे से आधे से आधिक के पास 2.5 एकड़ से भी कम ज़मीन है। इन किसानो के पास कुल खेतिहर भूमि का केवल 12% हिस्सा है।

भूमि वितरण से ग़रीबी की समस्या पर क्या प्रभाव हो सकता है, समझाओ।

भूमिहीनो को भूमि बांटने मे क्या दिक्कतें सामने आईं?

ग़रीबी दूर करने के कार्यक्रम

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

ग़रीबों को जीविका के साधन देने के लिए बना सब से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम ग्रामीण ग़रीब मज़दूर, किसान, कारीगर परिवारो के लिए 1978-79 मे शुरू किया गया था। इससे पहले भी ग़रीब किसानो के लिए कई

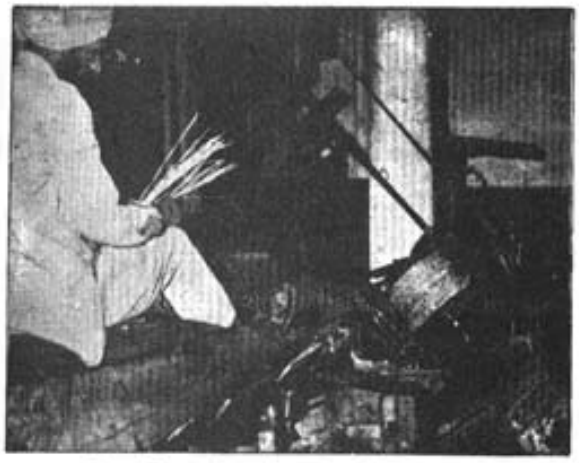

पंजाब में रस्सी बनाने वाले कारीगर को इस कार्यक्रम में मिली मशीन

कार्यक्रम चल रहे थे - ख़ासकर सूखे इलाको मे। इन सभी कार्यक्रमो को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मे सम्मिलित किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है - जिन परिवारो की आमदनी लगभग 6,400 रुपए प्रति वर्ष से कम है, उन्हे जीविका का साधन उपलब्ध कराना। आशा यह है कि इन साधनो से परिवार को इतनी आय हो पाएगी कि वे अपनी कुल आमदनी से कम से कम अपने भोजन की ज़रूरत पूरी कर सकें।

ग़रीब परिवारो को जीविका का साधन - जैसे भैंस, बकरी, मुर्गी, मिट्टी या चमड़े जैसे धंधे का सामान, आटा चक्की, रिक्शा आदि देना इस कार्यक्रम का मुख्य पहलू है। ये साधन ऋण के रूप मे दिए जाते हैं - यानी इस के लिए शुरू मे कोई पैसे नही भरने पड़ते। जैसे-जैसे साधन से आमदनी होती है, ऋण लौटाना पड़ता है। ऋण पर कम ब्याज लगता है। छोटे किसानो का एक-चौथाई और मज़दूरो और कारीगरो का एक-तिहाई ऋण माफ हो जाता है। यदि इस योजना मे 6,000 रुपए की भैंस किसी परिवार को दी गई और यदि वह छोटा किसान है तो उसे 4500 रुपए लौटाना पड़ेगा, यदि वह मज़दूर या कारीगर है तो उसे 4,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे। इस कार्यक्रम मे छोटे किसान को बारह हज़ार रुपए और मज़दूर या कारीगर को नौ हज़ार रुपए तक का साधन दिया जा सकता है।

हरिजन या आदिवासी को 10,000 रुपए तक का साधन मिल सकता है और उसका आधा ऋण माफ हो जाता है। ये ऋण बैको के माध्यम से दिए जाते हैं। इसके बारे मे तुमने बैंक के अध्याय मे पढ़ा था। ऋण के रूप मे दिए गए साधन बैंक के नाम रहन रखवाए जाते है।

विकास खंड (ब्लॉक) और पंचायत के माध्यम से ये ऋण दिलवाए जाते है। इनकी पूरी जानकारी ग्राम सेवक, पंचायत या ब्लॉक आफिस से मिल सकती है।

<u>एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कितना सफल?</u>

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) मे सरकार का लक्ष्य था कि डेढ़ करोड़ (150 लाख) ग़रीब परिवारो को इस कार्यक्रम के अंतर्गत साधन उपलब्ध कराए जाएं। एक करोड़ पैंसठ लाख परिवारो को ये साधन दिलवाए गए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत अक्सर भैंस या गाय दी जाती है। बहुत से ग़रीब परिवार ऐसे है जिन के पास ज़मीन नही है। उन्हें चारा खरीदना पड़ता है। कई गांवो मे दूध बेचने के लिए ठीक से कोई प्रबंध नही किया गया। दूध बहुत दूर बिकता है या सस्ता बिकता है। फिर बीच मे भैंस दूध देना बंद कर देती है। इस समय ग़रीबो के पास चारा खरीदने के पैसे नही होते। उन्हे साहूकार से उधार लेना पड़ता है। कई लोग ये उधार चुका नही पाते तो उन्हे भैंस बेचनी पड़ जाती है। ऐसे ही कई और उदाहरण है जिनमे कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए साधनो के उपयोग के लिए इन ग़रीब परिवारो को पर्याप्त सहयोग नही मिल पाता है। इसीलिए उन्हे कुछ ही समय तक इन साधनो का लाभ मिलता है।

ऐसे अनुभवो से पता चला है कि ग़रीबो को जीविका का साधन देना ही पर्याप्त नही, इन साधनो के लिए सहयोग देना ज़रूरी है। यदि भैस दी जा रही है तो उसके साल भर के चारे का प्रबंध होना ज़रूरी है। दूध बेचने का प्रबंध होना चाहिए। कम से कम दो भैसे दी जानी चाहिए - ताकि कम से कम एक भैस का दूध हमेशा मिलता रहे। तभी इनकी ग़रीबी स्थाई रूप से दूर की जा सकेगी।

1985 मे योजना आयोग ने इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया। इस रपट मे उन्होने इस प्रकार की कई कमियो के बारे मे लिखा है।

कुछ जगह यह पाया गया है कि वास्तव मे जो ग़रीब परिवार थे, उन्हे मिले साधनो का उपयोग कोई और कर रहे है। कही-कही यह देखने मे आया है कि हरिजन/आदिवासी परिवार को दी गई गाय या भैस गांव के अन्य बड़े परिवारो ने अपने घर बंधवा ली है और वे ही उनका उपयोग कर रहे है।

योजना आयोग की रपट मे यह भी कहा गया है कि कई जगहो पर लोगो को ऋण लेने के लिए पैसे यानी रिश्वत देनी पड़ी है। दूसरी तरफ जिन लोगो को यह ऋण मिला है उनमे से कई लोग बैंक को पैसे नही लौटा पाए है। यदि बैंक के पास ऋण के पैसे वापिस नही आते तो वह दूसरो को ऋण कैसे देगा? रपट मे कहा गया है कि यदि ये समस्याएं बनी रहेगी तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य पूरे नही होगे।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संक्षिप्त वर्णन करो।
तुम्हारे गांव से कुछ ऐसे परिवारो के उदाहरण दो जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण लिया है। इससे उन्हें क्या फायदा हुआ, चर्चा करो।
क्या तुम्हारे गांव मे ऐसे परिवार हैं जिन्हें ऋण मिलना चाहिए था पर मिला नहीं? इसका क्या कारण है, चर्चा करो।
अमीर लोग इस कार्यक्रम का फायदा कैसे उठाते है?

रोज़गार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1980 मे शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य थे।

1. ग़रीब ग्रामीण परिवारो, (ख़ासकर भूमिहीन मज़दूरो, हरिजन और आदिवासियो) को रोज़गार उपलब्ध कराना ताकि वे अपनी ज़रूरते पूरी करने के लिए और आमदनी कमा पाएं।

2. इस रोज़गार द्वारा ऐसे साधन बनाना जो कि गांव के लोगो, ख़ासकर ग़रीबो के काम आएं। हरिजन व आदिवासियो के लिए मकान, उनके लिए कुआं व हैडपंप, छोटी सिंचाई परियोजनाएं, भूमि संरक्षण (जैसे मेड़ बनाना, पेड़ लगाना, नाली बनाना, खेत से पानी निकास की व्यवस्था), सड़क बनाना आदि। इस कार्यक्रम मे ऐसे कामो पर ज़ोर है, जिसमे ज़्यादा से ज़्यादा लोगो को रोज़गार मिल सके।

ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का ख़ास उद्देश्य है : हर भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल मे कम से कम सौ दिन काम उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम द्वारा भी कुएं व मकान बनाए गए, जंगल लगाए गए। यह कार्यक्रम 1983 मे शुरू किया गया था।

हमने देखा था कि सरकारी अनाज भंडार काफी बढ़ गए थे, परंतु फिर भी लाखो ग़रीबो के पास खाने को काफी अनाज नही था। इसलिए सरकार ने तय किया कि इन कार्यक्रमो मे मज़दूरी के भुगतान मे हर व्यक्ति को एक या दो किलो अनाज और बाकी मज़दूरी नगद मे दी जाएगी।

रोज़गार कार्यक्रम में सड़क के लिए मिट्टी की खुदाई

1989 मे इन दोनो रोज़गार कार्यक्रमो को जोड़कर एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया - जवाहर रोज़गार योजना कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य है कि गांव के ग़रीब लोगो को अधिक रोज़गार मिले। इस कार्यक्रम मे नई बात यह है कि इसे चलाने के लिए पैसा सीधे पंचायत को दिया जाता है। पंचायत को तय करना है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या काम किया जाना चाहिए। गांव के लोग अपने हिसाब से योजना बनवाते है और काम करवाते है।

यह काम पहले ब्लाक आफिस के कर्मचारियो के द्वारा किया जाता था। पंचायत को सीधे पैसे देने का उद्देश्य है कि गांव के लोगो की भागीदारी और जवाबदारी अधिक हो पाए।

रोज़गार कार्यक्रमो का मूल्यांकन

इन रोज़गार कार्यक्रमो मे लाखो लोगो को रोज़गार मिला है। उनकी आमदनी भी बढ़ी है। ख़ासकर सूखे इलाको मे और सूखे के संकट के समय जब खेती का काम ठप्प हो जाता है, तब इन रोज़गार कार्यक्रमो द्वारा ही लोग अपना गुज़ारा कर पाते है।

इन कार्यक्रमो की कई कमियां है। मज़दूरी का भुगतान एक या दो हफ्तो मे एक बार होता है। अक्सर बहुत ग़रीब लोग हफ्ते भर तक मज़दूरी के भुगतान के लिए नही रुक पाते।

इन रोज़गार कार्यक्रमो मे अनाज के रूप मे आम तौर पर गेहूं दिया जाता है चूंकि गेहूं का ही अधिक भंडार है। पर बहुत से लोग चावल या कोई दूसरा अनाज खाते है, इसलिए वे गेहूं लेना पसंद नही करते। जो गेहूं मिलता भी है, वह कई बार घटिया, सीढ़ा, या घुन लगा हुआ होता है, इसलिए भी लोग इन कार्यक्रमो मे मिल रहे अनाज को लेने से मना कर देते है। पंचायत को पैसो मे मज़दूरी देनी पड़ती है। अतः अनाज के भंडार का उचित उपयोग भी नही हो पाया है।

रोज़गार कार्यक्रमो मे जो लोग काम करते है, उनके नामो की सूची का एक हाज़री रजिस्टर रखा जाता है जिसे "मस्टर" कहते है। कही-कही पर "मस्टर" मे अधिक मज़दूरी पर मज़दूरो से अंगूठा लगवाते है और कम मज़दूरी देते है।

कई बार फर्ज़ी मस्टर रखे जाते है। यानी जिन लोगो ने कभी काम नही किया, उनके नाम मस्टर मे दर्ज़ रहते है और इन नामो के आगे किसी के भी अंगूठो के निशान होते है। इस तरह के फर्ज़ी मस्टर कई जगह पकड़े गए है। इन कमियो को दूर करना ज़रूरी है।

जवाहर रोज़गार योजना से किस बात मे परिवर्तन आया है?

अपने शब्दो में समझाओ कि इन कार्यक्रमो मे क्या कमियां है।

क्या तुम्हारे गांव मे इस कार्यक्रम के अंतर्गत काम हुआ है? सूची बनाओ। इससे क्या फायदा हुआ, चर्चा करो।

क्या तुम्हारे गांव में इस कार्यक्रम से उन लोगों को रोज़गार मिला है जिनके पास सबसे कम ज़मीन या धंधा या रोज़गार के मौके हैं?

ग़रीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर बहुत कम पैसे खर्च किए जाते हैं। यदि सभी ग़रीबों को ऐसे जीविका के साधन या रोज़गार दिलाना है, जिससे ग़रीब परिवारों की कुल आमदनी 6,400 रुपए साल से ऊपर हो जाए तो सरकार को एक साल में लगभग 8250 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। परंतु सरकार ने इन कार्यक्रमों पर 1985 से 1990 तक केवल 1500 करोड़ रुपए हर साल खर्च किए।

जवाहर रोज़गार योजना का एक मूल्यांकन उत्तर प्रदेश की 39 ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण करके किया गया था। इस अध्ययन में कहा गया है कि पैसों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस अध्ययन में सुझाव है कि जवाहर रोज़गार योजना के अंतर्गत जो पैसे पंचायत को दिए जाएं, गांव में डोंड़ी पिटवाकर सभी को ख़बर करना चाहिए। उन्होंने जिन गांवों का सर्वेक्षण किया वहां लोगों को जानकारी तक नहीं थी कि कितने पैसे पंचायत को इस काम के लिए मिले हैं। उनका दूसरा सुझाव था कि जवाहर रोज़गार योजना के पैसे निकालने का अधिकार सरपंच एवं एक अन्य पंच को दिया जाए। पंचायत सचिव को यह अधिकार नहीं होना चाहिए। उनके सर्वेक्षण में पाया गया था कि जहां सरपंच को हिसाब-किताब की जानकारी नहीं थी वहां सचिव ने इस कमी का फायदा उठाते हुए पैसों का दुरुपयोग किया था।

इस अध्ययन का तीसरा सुझाव था कि सरपंच एवं पंचों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अधिकांश गांवों में केवल फर्शी डालने का काम इस योजना के द्वारा किया गया है। अन्य उपयोगी काम किए जा सकते हैं यदि लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। कई गांवों में पाया गया कि सड़क बनी और बारिश में धुल गई। उस पर खर्च किए गए पैसों का कोई लाभ नहीं मिला। इस प्रकार के कई उदाहरण पाए गए। जब गांव के लोग अपने पंच और सरपंच पर दबाव डालें और काम पर नज़र रखें तभी बेहतर काम हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के अध्ययन में बताई गई कमियां क्या तुम्हारे गांव में भी देखने को मिलती हैं?

ग़रीबी दूर करने के इतने प्रयासों के बावजूद हमारे देश में ग़रीबी और भुखमरी बनी हुई है। ग़रीबी कैसे दूर की जाए यह एक मुश्किल समस्या है। हम सब को मिलकर इसे हल करने की कोशिश करना ज़रूरी है।

अभ्यास के प्रश्न

1. पृष्ठ 189 पर दी गई भोजन की तालिका के आधार पर पांच सदस्य वाले एक परिवार के महीने भर के भोजन के खर्चे का हिसाब लगाओ (आज की कीमतों पर)। इसके लिए तुम्हें अनाज, दाल, सब्ज़ी, दूध, तेल, शक्कर आदि के भाव पता करने होंगे।
2. ग़रीब भूमिहीनों को ज़मीन बांटने में क्या क्या बाधाएं आईं?
3. पता करो कि तुम्हारे क्षेत्र में भूमि सीमा कितनी है - सिंचित और असिंचित। क्या तुम्हारे यहां गरीबों को ज़मीन दी गई? इस के बारे में पता करके लिखो।
4. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ऋण किस प्रकार दिया जाता है?
5. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की दो कमज़ोरियां लिखो।
6. रोज़गार कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
7. अपनी पंचायत से पता करो कि पिछले साल में ग्रामीण विकास और रोज़गार कार्यक्रमों के लिए उसे कितना पैसा मिला था। इन पैसों से तुम्हारे गांव में क्या-क्या काम करवाए गए हैं?